

(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE EXTRA-ORDINARY PART-IV)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES  
117-118, C-BLOCK VIKAS BHAWAN, NEW DELHI-110002

No. 7(63)/MWM/2000/ 376-86

Dated the 22/2/2012

NOTIFICATION

**No. 7(63)/MWM/2000/** - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and read with section 2(q) of the said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. O.P.Jandwani as Legal Metrology Officer (Gr.-I) for the purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi.

By order and in the Name of the  
Lieutenant Governor of National Capital of Territory of Delhi,



(V.K.JAIN)

CONTROLLER (W&M)

**No. 7(63)/MWM/2000/** 376-86

Dated: 23/2/12

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

1. Commissioner (F&S), K-Block, Vikas Bhawan, New Delhi.
2. Director (Vigilance), Dte. of Vigilance, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. Secretary, Law & Justice Department, Delhi Secretariat, New Delhi.
4. Principal Secretary, Services Department, Delhi Secretariat, New Delhi.
5. Director of Legal Metrology, Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi.
6. Deputy Secretary (GAD), Co-Ordination Branch, Delhi Sectt. with two copies for publication in Part-IV (Extra Ordinary) of Delhi Gazette.
7. Concerned Courts.
8. Addl. Commissioner (Admn.), F&S Department, Govt. of NCT of Delhi.
9. Director, Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
10. Officer Concerned.
11. Guard File.



(V.K.JAIN)

CONTROLLER (W&M)

दिल्ली राजपत्र-भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,  
माप तोल विभाग  
117-118, सी-ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली-110002

स संख्या फा0 7(63)एम.डब्लू.एम/2000/ 376-86

दिनांक : 23/2/12

अधिसूचना

स.फा. 7(63)एम.डब्लू.एम/2000/.....विधिक माप अधिनियम 2009 (2010 का 1) की धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 2 (क्यू) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये श्री औ.पी.जदवानी को विधिक माप पद्धति अधिकारी (ग्रेड-1) नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के  
आदेश तथा उनके नाम पर



(वी. के. जैन)

नियन्त्रक (विधिक माप पद्धति)

स संख्या फा0 7(63)एम.डब्लू.एम/2000/ 376-86

दिनांक : 23-2-12

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 आयुक्त, खाद्य सम्मरण एवं उपभोक्ता मामले एवं बाट एवं माप विभाग दिल्ली सरकार, "के" ब्लाक विकास भवन, नई दिल्ली ।
- 2 निदेशक, (सतकती) सतकर्ता निदेशालय, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
- 3 सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
- 4 प्रधान सचिव, (सेवाए) सेवा विभाग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
- 5 निदेशक, विधिक माप पद्धति, भारत सरकार, कृषि भवन दिल्ली ।
- 6 उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (समन्वय), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, को दो प्रतियाँ असाधारण, दिल्ली राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ ।
- 7 सम्बन्धित न्यायालय ।
- 8 अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) खाद्य एवं सम्मरण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
- 9 निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
- 10 संबंधित अधिकारी ।
- 11 गार्ड फाईल ।



(वी. के. जैन)

नियन्त्रक (विधिक माप पद्धति)